न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 16/2018

उनवान

1. हरि पुत्र गणेश,
2. दाखू पत्नी सांवरा,
3. राजू बा.,
4. दीपू ना.बा.,
5. पूजा ना.बा. पि0 सांवरा जरियें संरक्षक माता दाखू,
6. सुगनी पत्नी गणेश, जाति जाट नि0 दिलवाडा, नसीराबाद, हाल नि0 बूबानिया, नसीराबाद,
7. रामनाथ पुत्र रघुनाथ जाति जाट नि0 दिलवाडा, नसीराबाद,
8. केसर पत्नी रघुनाथ जाति जाट नि0 कायडे, भिनाय,
9. पेमी पत्नी रघुनाथ जाति जाट नि0 देराठू, नसीराबाद,
10. छोटी पुत्री रघुनाथ पत्नी जीवण जाति जाट नि0 मोडी, नसीराबाद (सीताराम रावत)

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

वनाम

1. भागीलाल,
2. महेन्द्र,
3. मानसिंह पुत्र छगना जाति जाट नि0 दिलवाडा, नसीराबाद
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 3 अनुपस्थित
4 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

दिनांक :– 6.6.24

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.20, 1399 रकबा 0.19, 1409 रकबा 0.15, 1393 रकबा 0.13, 1493 रकबा 0.06, 1392/1718 रकबा [illegible] वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है। जिस[illegible] का अलग–अलग हिस्सा निहित

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:06:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

है। उक्त आराजी का आज दिनांक तक विभाजन नही हुआ है जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रकरण में अनपुस्थित रहे।

अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है व वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होने के कारण जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन पेश नही होने से तनकी कायम नही की गयी। अधिवक्ता वादी ने राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.20, 1399 रकबा 0.19, 1409 रकबा 0.15 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेरी की है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश किया है। वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पेश कर सकते है। हाल खसरा नम्बर 1393 रकबा 0.13, 1493 रकबा 0.06, 1392/1718 रकबा 0.13 पर प्रतिवादीगण खातेदार नही हैं। उक्त आराजी पर वादीगण का ही नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रतिवादीगण का नाम दर्ज नही होने के कारण उक्त आराजी पर वादीगण को कोई वाद कारण भी उत्पन्न नही होता है। अतः वादीगण हाल खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.20, 1399 रकबा 0.19, 1409 रकबा 0.15 की आराजी पर विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

अतः ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.20, 1399 रकबा 0.19, 1409 रकबा 0.15, की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:06:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned with OKEN Scanner

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इन्द्राज
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हरि बनाम मांगीलाल

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 16/2018
पेश करने की दिनांक – 18.01.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.20, 1399 रकबा 0.19, 1409 रकबा 0.15, की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

वअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 6 माह 6 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बावत् इजराय हुक्मनामा
बावत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:06:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner